औद्योगिक भूखंड की नीलामी और एकमुश्त आवंटन दरें तय

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक आस्थान नीति के तहत औद्योगिक भूखंड की नीलामी व एकमुश्त आवंटन के लिए शुल्क की दरें तय कर दी हैं।

एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने सोमवार को औद्योगिक प्रबंधन नीति-2025 को जारी किया। नीति के मुताबिक 500 वर्गमीटर की जमीन की नीलामी के लिए पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये व एकमुश्त आवंटन शुल्क 4000 रुपये तय किया गया है।

सभी चमड़ा केंद्रों में कॉमन ईटीपी लगेंगे

प्रदेश सरकार प्रदूषण कम करने के लिए सभी चमड़ा केंद्रों में कामन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करेगी। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे। सरकार इस पर काम कर रही है। यह प्रावधान उत्तर प्रदेश फुटवेयर, लेदर, और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025 में किया गया है। सरकार ने इसे सोमवार से लागू कर दिया।